# उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 संख्या 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादूनः: दिनांकः: 29 जून, 2017

### अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के क्रम में यह अधिस्चित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में वर्णित सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्गों पर, जिनकी पूर्ति उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा की गई है, उक्त उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण राज्य कर का संदाय, उक्त सारणी के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर किया जाएगा :--

### सारणी

क्र.सं.	सेवाओं की पूर्ति के प्रवर्ग	सेवा का पूर्तिकार	सेवा का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किसी माल परिवहन अभिकरण (जीटीए) द्वारा माल के सड़क द्वारा निम्निलिखित को परिवहन की बाबत सेवाओं की पूर्ति —  (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या (घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल	माल परिवहन अभिकरण (जीटीए)	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित, (क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अधीन या उसके द्वारा किसी भी कारखाने को ; या (ख) भारत के किसी भाग में सोसाइटी रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी भी सोसाइटी को ; या (ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी भी सहकारी सोसाइटी को ; या (घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम/ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधीन रिजस्ट्रीकृत किसी भी व्यक्ति को ; या

a a supplication	अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी		(इ.) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन
	व्यक्ति को ; या		स्थापित किसी भी निगमित निकाय को
	(इ.) किसी विधि द्वारा या उसके		; या
	अधीन स्थापित किसी भी निगमित		(च) किसी विधि के अधीन किसी भी
	निकाय को ; या		भागीदारी फर्म को, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो
	(च) किसी विधि के अधीन किसी		या नहीं, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का
	भी भागीदारी फर्म को, चाहे		संगम भी है ; या
	रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, जिसके		(छ) कोई आकस्मिक कराधेय व्यक्ति।
	अंतर्गत व्यक्तियों का संगम भी है	h	
	; या		
	,		
	(छ)कोई नैमितिक कराधेय व्यक्ति		The state of the s
2	किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके	,	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार
	अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है,	1	अस्तित्व।
	द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके		
	अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी		
	सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा		
	किसी अन्य अधिवक्ता के माध्यम से	की फर्म	
	की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार		
	अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप	1000	
	से किसी न्यायालय, अधिकरण या		
	प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी		
	सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या		
	अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कारबार		
	अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम		
	से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ।		
3	किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा	कोई	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार
3	किसी कारबार अस्तित्व को पूर्तित	<sup>पगर</sup> माध्यस्थम्	अस्तित्व ।
	सेवाएं ।	अधिकरण	
4	किसी भी निगमित निकाय या	कोई भी	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थितकोई
	भागीदारी फर्म को प्रायोजितता के रूप	<u>व्यक्ति</u>	निगमित निकाय या भागीदारी फर्म ।
	में दी गई सेवाएं ।		
5	किसी कारवार अस्तित्व को केंद्रीय	केंद्रीय	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई कारबार
	सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र	सरकार,	अस्तित्व ।
	या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्तित	राज्य	
	सेवाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित	सरकार, संघ	

•

	.6 .6		
	(1) स्थावर संपत्ति को किराए	स्थानीय	
	पर देना ; और	प्राधिकरण	
	(2) नीचे विनिर्दिष्ट सेवाएं-		
	(i) स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल		
	पोस्ट, जीवन बीमा और		
	अभिकरण सेवाओं के रूप में		
	डाक विभाग द्वारा केंद्रीय		
	सरकार, राज्य सरकार, संघ		The state of the s
	राज्यक्षेत्र प्रशासन से भिन्न		
	किसी व्यक्ति को दी गई		
	सेवाएं ;		
	(ii) किसी पत्तन या किसी		
	विमानपत्तन की प्रसीमाओं के		
	भीतर या बाहर किसी वायुयान		
	या जलयान के संबंध में सेवाएं		
	; (iii) माल या यात्रियों का परिवहन		
	(11) 011(1 41 41144) 47 41(4(61		
	<b>1</b>		
6	किसी कंपनी या किसी निगमित	किसी कंपनी	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोईकंपनी
1	निकाय के निदेशक द्वारा उक्त कंपनी	या किसी	
	या निगमित निकाय को पूर्तित सेवाएं	निगमित	
		निकाय का	
	•	कोई	
		निदेशक	
7	किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमा	कोई बीमा	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित कोई
/			
C Paragraphic Control of the Control	कारबार करने वाले किसी व्यक्ति को	अभिकर्ता	व्यक्ति, जो बीमा कारबार कर रहा है।
	पूर्तित सेवाएं ।		
8	किसी वस्ली अभिकर्ता द्वारा किसी	कोई वस्ती	
	बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय	अभिकर्ता	कंपनी या वित्तीय संस्था या गैर-बैंककारी
	संस्था या किसी गैर-बैंककारी वित्तीय		वित्तीय कंपनी ।
	कंपनी को प्रितित सेवाएं ।		
9	किसी लेखक, संगीतकार, फोटोग्राफर,	लेखक,	कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित
	कलाकार और उसी प्रकार के अन्य	संगीतकार,	कोईप्रकाशक, संगीत कंपनी, निर्माता और
	द्वारा प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम,	फोटोग्राफर,	उसी प्रकार के अन्य ।
:	1957 की धारा 13 की उपधारा (1) के	कलाकार	
	खंड (क) के अंतर्गत आने वाले मूल	और उसी	
	साहित्यिक, नाट्य, संगीत संबंधी या	प्रकार के	
	कला संबंधी कार्यों से संबंधित	अन्य	
	The state of the s	1 311	

संगीत कंपनी, निर्माता और उसी प्रकार	
के अन्य द्वारा उपयोग या उपभोग का	
अंतरण करने या उसकी अनुजा देने के	
रूप में सेवाओं की पूर्ति ।	

स्पष्टीकरण-इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,--

- (क) कोई व्यक्ति, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में स्थित माल वाहक में सड़क द्वारा माल के परिवहन के लिए किराए का संदाय करने का दायी है, ऐसा व्यक्ति समझा जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए सेवा प्राप्त करता है।
- (ख) "निगमित निकाय" का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (11) में उसका है।
- (ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऐसे किसी कारबार अस्तित्व को, जो यथास्थिति, मुकदमेबाज, आवेदक या याची है, ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाएगा, जो इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए विधिक सेवाएं प्राप्त करता है ।
- (घ) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो इस अधिसूचना में परिभाषित नहीं हैं, किंतु उत्तराखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम और एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अधिनियम में उनका है।
- 2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

## सं0 \$24/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— एन०आई०सी०
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

्राज्ञा स्न, (हीरा सिंह बसेड़ा) अनुसचिव

الملك

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 526/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

# Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. \$26/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dehradun:: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest; Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify that on categories of supply of services mentioned in column (2) of the Table below, supplied by a person as specified in column (3) of the said Table, the whole of State tax leviable under section 9 of the said Uttarakhand Goods and Services Tax Act, shall be paid on reverse charge basis by the recipient of the such services as specified in column (4) of the said Table:-

### Table

Sl.	Category of Supply of Services	Supplier	Recipient of Service
No.		of service	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Supply of Services by a goods	Goods	(a) Any factory registered under or
	transport agency (GTA) in respect	Transport	governed by the Factories Act,
	of transportation of goods by road	Agency	1948(63 of 1948); or
	to-	(GTA)	(b) any society registered under the
	(a) any factory registered under or		Societies Registration Act, 1860 (21 of
	governed by the Factories Act,	managed that of \$1, 1255	1860) or under any other law for the
	1948(63 of 1948);or		time being in force in any part of India;
	(b) any society registered under the		or
	Societies Registration Act, 1860 (21		(c) any co-operative society
	of 1860) or under any other law for		established by or under any law; or
	the time being in force in any part of		(d) any person registered under the
	India; or		Central Goods and Services Tax Act or
	(c) any co-operative society		the Integrated Goods and Services Tax
	established by or under any law; or		Act or the State Goods and Services

(d) any person registered under the Central Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or  (e) any body corporate established, Tax Act or the Union (f) any partnership firm registered or not under (g) any casual taxable perso located in the taxable territory (f) any partnership firm whether registered or not under any law	olished, by whether any law sons; or
or the Integrated Goods and Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or  (e) any body corporate established, by or under any law; or  (f) any partnership firm registered or not under including association of persociation of persociatio	whether any law sons; or
Services Tax Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or  (e) any body corporate established, by or under any law; or  (f) any partnership firm whether  or under any law; or registered or not under including association of persociation of persociat	whether any law sons; or
and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act; or (e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether  (g) any casual taxable perso located in the taxable territory	any law sons; or
Territory Goods and Services Tax  Act; or  (e) any body corporate established, by or under any law; or  (f) any partnership firm whether	any law sons; or
Act; or  (e) any body corporate established, by or under any law; or  (f) any partnership firm whether  including association of personal description description of personal description	sons; or
(e) any body corporate established, by or under any law; or (f) any partnership firm whether (g) any casual taxable perso located in the taxable territory	
by or under any law; or  (f) any partnership firm whether	n;
(f) any partnership firm whether	
	r.
registered or not under any law	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
including association of persons; or	
(g) any casual taxable person.	
2 Services supplied by an individual An Any business entity located	ed in the
advocate including a senior individual taxable territory.	
advocate by way of representational advocate	
services before any court, tribunal or including a	
authority, directly or indirectly, to senior	
any business entity located in the advocate	
taxable territory, including where or firm of	
contract for provision of such advocates.	
service has been entered through	
another advocate or a firm of	
advocates by way of legal services,	
directly or indirectly, to a business	
entity.	
3 Services supplied by an arbitral An arbitral Any business entity located	ed in the
tribunal to a business entity. tribunal. taxable territory.	
4 Services provided by way of Any Any body corporate or partner	rship firn
sponsorship to any body corporate person located in the taxable territory	T.
or partnership firm.	
5 Services supplied by the Central Central Any business entity located	ed in the
Government, State Government, Governme taxable territory.	
Union territory or local authority to nt, State	

	(1) renting of immovable property,	nt, Union	
	and	territory or	
	(2) services specified below-	local	
	(i) services by the Department of	authority	
	Posts by way of speed post, express		
	parcel post, life insurance, and		
	agency services provided to a person		
	other than Central Government,		
	State Government or Union territory		
	or local authority;		
	(ii) services in relation to an aircraft		
	or a vessel, inside or outside the		
	precincts of a port or an airport;		
	(iii) transport of goods or		
	passengers.		
6	Services supplied by a director of a	A director	The company or a body corporate
	company or a body corporate to the	of a	located in the taxable territory.
	said company or the body corporate.	company	
		or a body	
		corporate	
7	Services supplied by an insurance	An	Any person carrying on insurance
	agent to any person carrying on	insurance	business, located in the taxable territory.
	insurance business.	agent	
8	Services supplied by a recovery	A recovery	A banking company or a financial
	agent to a banking company or a	agent	institution or a non-banking financial
	financial institution or a non-		company, located in the taxable
	banking financial company.		territory.
9	Supply of services by an author,	Author or	Publisher, music company, producer or
	music composer, photographer,	music	the like, located in the taxable territory.
	artist or the like by way of transfer	composer,	
	or permitting the use or enjoyment	photograp	
erici qua. Africalia	of a copyright covered under clause	her, artist,	
to delicate of the control of the co	(a) of sub-section (1) of section 13	or the like	
	of the Copyright Act, 1957 relating		
	to original litarany dramatia		

musical or artistic works to a	
publisher, music company, producer	
or the like.	

Explanation.- For purpose of this notification,-

- (a) The person who pays or is liable to pay freight for the transportation of goods by road in goods carriage, located in the taxable territory shall be treated as the person who receives the service for the purpose of this notification.
- (b) "Body Corporate" has the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013.
- (c) the business entity located in the taxable territory who is litigant, applicant or petitioner, as the case may be, shall be treated as the person who receives the legal services for the purpose of this notification.
- (d) the words and expressions used and not defined in this notification but defined in the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, Central Goods and Services Tax Act and the Integrated Goods and Services Tax Act, shall have the same meanings as assigned to them in the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

(Radha Raturi) Principal Secretary

